किसानों को 88638 करोड़ का फसल ऋण

एमपी के लिए वार्षिक ऋण योजना 5 लाख 856 करोड़ तय

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 3 जुलाई. मप्र के लिए राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने वार्षिक साख योजना 2026-27 की अवधि के लिए राज्य स्तरीय क्रेडिट प्लान जारी कर दिया है, अलग- अलग सेक्टरों को मिलाकर मप्र के लिए कुल 5 लाख 856 करोड़ रुपए का क्रेडिट प्लान तय किया गया है.

इसमें किसानों के लिए भी 88638 करोड़ रुपए की फसल ऋण की राशि देने की योजना बनाई गई है. मुख्य सचिव अनुराग जैन ने मंत्रालय में शक्रवार को वित्त विभाग के

अधिकारियों और राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी की बैठक को संबोधित किया. इस दौरान मुख्य सचिव ने समन्वयक से कहा कि वे जिलों से प्राप्त जिला स्तरीय क्रेडिट प्लान का हर हाल में क्रियान्वयन कर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को और सुदृढ़ बनाएं. मुख्य सचिव ने राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति द्वारा प्रस्तुत वार्षिक साख योजना 2026-27 का विमोचन कर जारी की. जारी क्रेडिट प्लान के अनुसार कुल वार्षिक ऋण योजना रुपए 5,00,856 करोड़ निर्धारित की गई है. जो गत वर्ष के लक्ष्य 4,19,110 करोड़ रूपए का 119.50 प्रतिशत है. कृषि क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए फार्म क्रेडिट के लिए 1,28,866 करोड़ रुपए का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जो गत वर्ष के लक्ष्य का 106.56 प्रतिशत तथा उपलब्धि का 120.56 प्रतिशत अधिक है. इसी तरह फसल ऋण का लक्ष्य रुपए 88,638 करोड़ रूपये रखा गया है, जो गत वर्ष के लक्ष्य का 101.22 प्रतिशत तथा उपलब्धि का 122.36 प्रतिशत है.

एमएसएमई के लिए 162967 करोड़ रुपए का लक्ष्य

इसी क्रम में एमएसएमई क्षेत्र के लिए 1,62,967 करोड़ रुपए का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया है जो पिछले वर्ष के लक्ष्य का 121.64 प्रतिशत तथा उपलब्धि का 120.90 प्रतिशत है. नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है. इस क्षेत्र का लक्ष्य गत वर्ष के लक्ष्य की तुलना में 731.11 प्रतिशत तथा उपलब्धि की तुलना में 167.70 प्रतिशत बढ़ाया गया है. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के लिए कुल 3,45,915 करोड़ रुपए का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जो कुल वार्षिक ऋण योजना का लगभग 69 प्रतिशत है तथा गत वर्ष के लक्ष्य का 117.76 प्रतिशत एवं उपलब्धि का 121.58 प्रतिशत है. बैठक में विश्वास व्यक्त किया गया कि समस्त बैंकों के साथ ही राज्य शासन के विभागों, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड तथा सभी संबंधित एजेंसियों के समन्वित प्रयास से वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान राज्य में समयबद्ध ऋण प्रवाह सुनिश्चित करते हुए निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति की जाएगी.

नाबालिग किशोरी के कथित अपहरण के आरोप में तीन गिरफ्तार

भिण्ड. जिले के लहार क्षेत्र में 17 वर्षीय एक नाबालिग किशोरी के कथित अपहरण के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस सूत्रों के अनुसार दबोह निवासी किशोरी अपनी बुआ के घर लहार आई हुई थी. बुधवार दोपहर वह लहार सिविल अस्पताल के पास खड़ी थी, तभी एक कार में सवार सुमित वाल्मीकि, नितिन दौहरे तथा एक नाबालिग उसे कथित तौर पर जबरन वाहन में बैठाकर दबोह की ओर ले गए. घटना की जानकारी मिलने पर परिजनों ने आरोपियों के वाहन का पीछा किया. पीछा होते देख आरोपी घबरा गए और दबोह बाइपास पर किशोरी को छोड़कर फरार हो गए.

मध्यप्रदेश के कई जिलों में हुई जोरदार बारिश

19 जिलों में भारी बारिश का येलो और ऑरेंज अलर्ट

भोपाल, 3 जुलाई . मध्य प्रदेश में नौ दिन की देरी से पहुंचा मानसून अब पूरी तरह सक्रिय हो गया है. मौसम विभाग ने अगले चार दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है.

पहली बार इस मानसून सीजन में खंडवा और हरदा जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 19 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है. मौसम विभाग के अनुसार खंडवा और हरदा में अगले 24 घंटे के दौरान 4 से 8 इंच तक बारिश हो सकती है. इसके अलावा धार, बड़वानी, खरगोन, देवास, बुरहानपुर और बैतूल में अति भारी वर्षा की संभावना जताई गई है. वहीं

पूर्वी मध्य प्रदेश में बारिश की कमी सबसे अधिक

रतलाम, उज्जैन, राजगढ़, रायसेन, नर्मदापुरम, सागर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी, बालाघाट, डिंडौरी और अनूपपुर सहित 19 जिलों में भारी बारिश का येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. अन्य जिलों में भी गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है. मानसून ने भले ही पूरे प्रदेश को कवर कर लिया हो, लेकिन बारिश का वितरण अभी भी असमान बना हुआ है. प्रदेश के 38 जिलों में सामान्य से कम वर्षा दर्ज की गई है, जबकि भोपाल, इंदौर और देवास समेत 15 जिलों में सामान्य से अधिक बारिश हुई है. देवास में अब तक सबसे अधिक करीब साढ़े 10 इंच वर्षा रिकॉर्ड की गई है, जबकि भोपाल और इंदौर में आठ इंच से अधिक बारिश दर्ज हो चुकी है.

यानी अब तक करीब 23 प्रतिशत कम बारिश हुई है. मौसम विभाग का अनुमान है कि जुलाई में मानसून पूरी ताकत से सक्रिय रहेगा और जून की बारिश की कमी काफी हद तक पूरी हो सकती है. भारी बारिश की आशंका को देखते हुए मौसम विभाग ने लोगों को नदी-नालों और जलभराव वाले क्षेत्रों से दूर रहने, अनावश्यक यात्रा से बचने तथा प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने की सलाह दी है.

एक नजर में

रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोचा गया मेडिकल ऑफिसर

शहडोल. भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकायुक्त की कार्रवाई में शुक्रवार को शहडोल जिले के जयसिंहनगर विकासखंड स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उफरी के मेडिकल ऑफिसर डॉ. महेश चंद्र शर्मा को 5 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया. आरोपी चिकित्सक शिकायतकर्ता की पत्नी का सलग्नीकरण (अटैचमेंट) आदेश निरस्त कराने एवं रवानगी नहीं देने के बदले 10 हजार रुपये की रिश्वत मांग रहा था.

खतना कानून की दृष्टि में अपराध

प्रयागराज, 3 जुलाई. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निकाह, हलाला और तीन तलाक से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि इन रस्म-रिवाजों के चक्रव्यूह में फंसाकर किसी महिला के यौन शोषण की अनुमति नहीं दी जा सकती.

अदालत ने टिप्पणी की कि यह समाज का ऐसा काला पन्ना है, जो संवैधानिक मूल्यों, समानता और मानवीय गरिमा की अवधारणा से कोसों दूर है. कोर्ट ने कहा कि ऐसे कृत्य न केवल कानून की दृष्टि में अपराध हैं, बल्कि समाज की सामूहिक अंतरात्मा को भी झकझोरते हैं. न्यायमूर्ति जेजे मुनीर और न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना की खंडपीठ ने अमरोहा जिले के एक मामले में पीड़िता के पूर्व पति,

हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी

चाचा, मौलाना और अन्य रिश्तेदारों की ओर से दायर अलग-अलग याचिकाओं को खारिज कर दिया. इन याचिकाओं में दर्ज एफआईआर को रद्द करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की गई थी. अदालत ने कहा कि व्यक्तिगत कानूनों या धार्मिक प्रथाओं का हवाला देकर किसी भी आपराधिक कृत्य को संरक्षण नहीं दिया जा सकता.

दिग्विजय ने किया पदयात्रा का ऐलान

उज्जैन से अयोध्या तक करेंगे यात्रा

विशेष संवाददाता

भोपाल, 3 जुलाई. मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने राम मंदिर से जुड़े चंदे और चढ़ावे में कथित अनियमितताओं के विरोध में उज्जैन से अयोध्या तक पदयात्रा करने की घोषणा की है. यह पदयात्रा 2 अक्टूबर 2026 से बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से शुरू होगी.

शुक्रवार को भोपाल स्थित अपने निवास पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए दिग्विजय सिंह ने 'चंदा चोरों का प्रवेश वर्जित' लिखे पोस्टर भी प्रदर्शित किए. उन्होंने

आरोप लगाया कि विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े लोगों ने राम मंदिर निर्माण के लिए श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए चंदे और चढ़ावे के साथ कथित रूप से अनियमितताएं कर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के साथ विश्वासघात किया है. उन्होंने दावा किया कि राम मंदिर निर्माण के लिए श्रद्धालुओं ने दो बार उदारतापूर्वक सहयोग दिया, लेकिन अब प्रतिदिन मिलने वाले चढ़ावे का 10 से 20 प्रतिशत तक कथित रूप से गबन किए जाने के आरोप सामने आ रहे हैं. दिग्विजय सिंह ने कहा कि वह न्यायालय में याचिका दायर कर अपने द्वारा दिए गए चंदे की राशि वापस मांगेंगे. यदि राशि वापस मिलती है तो उसे रामालय ट्रस्ट को दान करेंगे.

पेज एक का शेष

रिपोर्ट से पहले ही यूसीसी विधेयक तैयार

इस कमेटी की दिल्ली में हुई बैठक के बाद यूसीसी के मसौदे को अंतिम रूप दे दिया गया है. अब इसे मुख्यमंत्री को सौंपने की तैयारी की गई है, लेकिन यह कमेटी की चेयरपर्सन की ओर से मिले समय पर तय होगा. बताया जा रहा है कि यदि चेयरपर्सन किसी कारणवश राजधानी भोपाल आने में असमर्थ रहीं तो कमेटी की ओर से रिटायर्ड आईएएस शत्रुघ्न सिंह सहित कमेटी के अन्य सदस्य मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को यूसीसी को लेकर तैयार सिफरिशें सौंप देंगे. धर्म बदलने वाले आदिवासी अब आदिवासी नहीं रहेंगे: देश के कई राज्यों के साथ ही मप्र में तेजी से धर्म परिवर्तन की घटनाएं हो रही हैं. विशेष रूप से सनातन धर्म के मानने वालो को टारगेट किया जा रहा है. इसमें भी आदिवासी समुदाय को ज्यादा टारगेट किया जा रहा है. पैसों सहित अन्य सुविधाओं का प्रलोभन देकर सुदूर क्षेत्रों में आदिवासी समुदाय को विशेष रूप से इसाई धर्म में कन्वर्ट करा रहे हैं.

अमित शाह या नीतीश हो सकते हैं उप प्रधानमंत्री

इतना ही नहीं पिछले कुछ दिनों से जदयू के दूसरे क्रम के कई नेता नीतीश कुमार के अनुभवों को आधार बनाकर उन्हें उपप्रधानमंत्री बनाने की वकालत भी कर रहे हैं. इस संदर्भ में राजनीतिक जानकार यह भी कह रहे हैं कि बिहार जैसे राजनीतिक रूप से सक्रिय बड़े प्रदेश से अभी तक कोई भी प्रधानमंत्री या उपप्रधानमंत्री नहीं बना है ऐसे में संभव है कि गठबंधन सहयोगियों के बीच एक मजबूत और विश्वसनीय संदेश को स्थापित करने के साथ-साथ क्षेत्रीय व राजनीतिक संतुलन को स्थापित करने के लिए नरेंद्र मोदी कोई अप्रत्याशित फैसला कर लें. जानकार बता रहे हैं कि भारतीय राजनीतिक इतिहास गवाह है कि उप-प्रधानमंत्री का पद हमेशा गठबंधन को बचाए रखने या पार्टी के भीतर शक्ति संतुलन साधने के लिए दिया गया है.

उज्जैन में आफत की बारिश...

देर रात उनकी मोटरसाइकिल घटनास्थल से करीब 200 मीटर दूर मिल गई, अंधेरा और तेज बहाव के कारण रात में खोज अभियान बाधित रहा. शुक्रवार सुबह फिर से तलाश शुरू की गई, लेकिन समाचार लिखे जाने तक उनका कोई पता नहीं चल सका. इसी दौरान जगोटी-खेड़ाखजुरिया मार्ग स्थित झालड़ा खाल की रपट पर एक अन्य युवक भी मोटरसाइकिल सहित बह गया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, युवक ने बहते समय पेड़ और झाड़ियों का सहारा लेकर किसी तरह अपनी जान बचा ली, हालांकि उसकी मोटरसाइकिल पानी में बह गई. लगातार बारिश से शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण रामघाट के आसपास के कई मंदिर पानी में समा गए हैं. छोटी रपट पर भी पानी आ जाने से आवागमन प्रभावित हुआ है. प्रशासन ने घाटों पर होमगार्ड, पुलिस और तैराक दल को तैनात कर दिया है तथा श्रद्धालुओं और नागरिकों से नदी किनारे जाने से बचने की अपील की है. जीवाजी वेधशाला के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में जिले में करीब 2.9 इंच वर्षा दर्ज की गई है, जबकि मानसून सीजन की शुरुआत से अब तक लगभग 12 इंच बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है. मौसम विभाग ने आगामी दिनों में भी भारी से अति भारी बारिश की संभावना जताई है.

राजा रघुवंशी हत्याकांड: मुख्य आरोपी की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट का रोक से इनकार

- हाईकोर्ट के आदेश पर आपत्तियां हैं, लेकिन आरोपी रिहा हो चुकी है
- मेघालय सरकार की याचिका पर जारी किया नोटिस

इंदौर. चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड की मुख्य आरोपी की जमानत फिलहाल बरकरार रहेगी. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मेघालय हाईकोर्ट के जमानत आदेश पर तत्काल रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा कि आदेश पर कुछ आपत्तियां जरूर हैं, लेकिन आरोपी पहले ही जेल से रिहा हो चुकी है. ऐसे में इस स्तर पर जमानत पर रोक नहीं लगाई जाएगी. हालांकि अदालत ने मेघालय सरकार की चुनौती याचिका पर नोटिस जारी कर मामले की सुनवाई स्वीकार कर ली है. सुनवाई के दौरान मेघालय सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए कहा कि यह सुनियोजित हत्या का मामला है. आरोप है कि मुख्य आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर पति की हत्या कर शव खाई में फेंक दिया था और बाद में फरार हो गई थी. सरकार की ओर से यह भी दलील दी गई कि गिरफ्तारी दस्तावेज में हत्या की धारा की जगह दूसरी धारा अंकित होना महज टाइपिंग की त्रुटि थी. मजिस्ट्रेट के समक्ष गिरफ्तारी के आधार स्पष्ट किए जा चुके थे, इसलिए केवल इस तकनीकी गलती के आधार पर जमानत देना उचित नहीं था. सुनवाई के दौरान अवकाशकालीन पीठ ने बचाव पक्ष से सवाल किया कि यदि गिरफ्तारी के आधार नहीं बताए थे तो शुरुआती जमानत याचिकाओं में यह मुद्दा क्यों नहीं उठाया गया. अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि केवल गलत धारा लिखे जाने के आधार पर जमानत देने के हाईकोर्ट के फैसले पर सवाल उठते हैं. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि आरोपी अभी तक रिहा नहीं हुई होती तो जमानत पर रोक लगाने पर विचार किया जा सकता था. फिलहाल जमानत बरकरार रहेगी, जबकि मामले की विस्तृत सुनवाई आगे की जाएगी. साथ ही अदालत ने कहा कि राज्य सरकार कानून के तहत आवश्यक कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है.

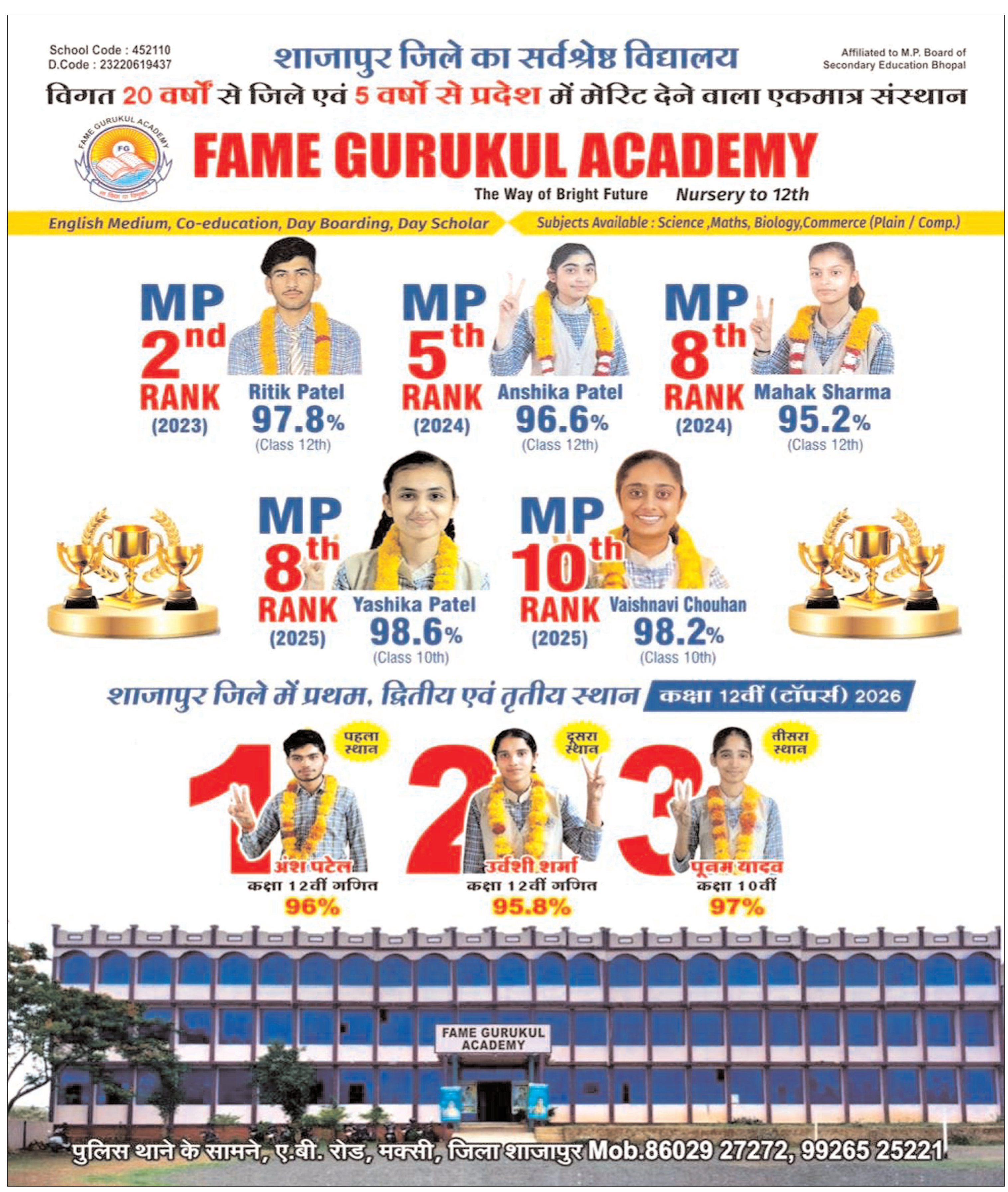

सोने की नीलामी की सूचना

बजाज फाईनान्स लिमिटेड ("BFL"); पंजीकृत कार्यालय: मुंबई-पुणे रोड, अकुर्दी, पुणे- 411035

BAJAJ FINANCE

ऋणियों एवं सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नीचे उल्लिखित ऋणियों ने बार-बार सूचना दिए जाने के बावजूद लोन का भुगतान या आवश्यक मार्जिन जमा नहीं किया है। इस कारण, ऋणियों द्वारा लोन के विरुद्ध सुरक्षा के रूप में गिरवी रखे गए सोने की नीलामी "जैसा है, जहाँ है" के आधार पर निम्नलिखित शर्तों के अनुसार की जाएगी: 1. क्यूआर कोड स्कैन कर सार्वजनिक सूचना (सोने का विवरण एवं सकल वजन) की सम्पूर्ण जानकारी देखें, 2. बोलीदाताओं के लिए सभी नियम एवं शर्तें निम्न लिंक पर उपलब्ध हैं: All about our Terms and Conditions - Bajaj Finance Limited 3. सभी बोलीदाताओं को नीलामी से पूर्व ₹25,000/- की अग्रिम जमा राशि (EMD) ऑनलाइन ट्रांसफर के माध्यम से जमा करना अनिवार्य है; 4. नीलामी स्थल पर प्रातः 10 बजे वैध पहचान एवं पते के प्रमाण के साथ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना अनिवार्य है। नीलामी की तिथि में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नीलामी केंद्र पर प्रदर्शित किया जाएगा। बोली प्रस्तुत करना उपरोक्त नियमों एवं शर्तों की स्वीकृति माना जाएगा। अधिक जानकारी के लिए wecare@bajajfinserv.in पर संपर्क करें।

(10-08-26): **आष्टा - कन्नौद रोड**; POX6GOL25088379. **बालाघाट - बीजीएल**; PNS9GOL26430425. **बरेली - राठी कॉलोनी**; PCA3GOL25483410, 26187736, 27181052, 28736878. **बैतूल - शर्मा कॉम्प्लेक्स**; PCA4GOL24250490, 24288950, 26465795, 27033142, 29124247. **भोपाल - इमामी गेट**; PF46GOL25903971, 27741245. **भोपाल - इंद्रपुरी**; PF49GOL24908845, 25522327, 25529363, 25507474, 25725797, 28032344, 29162472. **भोपाल - करोंद**; PJD2GOL26841514. (11-08-26) **भोपाल - एमपी नगर**; PCA5GOL9173459, L9872010, 10213247, 17909617. **बीना - इटावा स्टेशन रोड**; PCA6GOL25506259, 25499964, 25487397, 27387226. **बुरहानपुर - अमरावती रोड**; PQE2GOL24125201. **छिंदवाड़ा - परासिया रोड**; PEQ1GOL28336525. **डबरा - मेन रोड**; PKH4GOL26049831, 26058724. **दमोह - मेन रोड**; PQD8GOL23739335, 26749457. **दतिया - सीता सागर**; PMN5GOL26268926. **देवास - एबी रोड**; PGG2GOL25536696, 26993275, 27017944, 27178660, 27762826, 28698013. (12-08-26): **देवास - मां चामुंडा टेकरी**; PQH2GOL26958322. **धामनोद - एबी रोड**; POZ3GOL28669782, 28682940. **धार - इंदौर रोड**; PQD6GOL26271672. **गाडरवारा - इंद्रा वार्ड**; PKA3GOL26101619, 28696843. **गंज बासौदा - मेन रोड**; P02WGOL24688008. **ग्वालियर - बड़ा जीवाजी चौक**; PQT8GOL29127587. **गुना - एबी रोड**; PEH2GOL25447719, 26284626, 27779845, 28274128, 28299020, 28525291. (13-08-26) **ग्वालियर - सिटी सेंटर**; PCA7GOL11515324, 24092327, 24060091, 24246407, 24454200, 25171345, 25464077, 25660094, 26456915, 26435042, 27778924, 28075282, 28719719. **ग्वालियर - गोले का मंदिर**; PJD1GOL25502478, 25668683, 26037417, 26477571, 26783487, 28656117. **ग्वालियर - मुरार**; PHF9GOL27353684. **ग्वालियर - नया बाजार**; PF25GOL24242178, 25142309, 25712325, 27355243, 27409025, 27366060, 28453176. **ग्वालियर - पिंटू पार्क**; PQV3GOL28718575. **ग्वालियर - तानसेन रोड**; PPC9GOL27020087, 27023755. **ग्वालियर - विनय नगर**; PEF2GOL24618974, 26220999, 26414910, 27210466, 27701612, 28048700. **हरदा - बाफना टावर**; PCA8GOL24294044, 26060212. (14-08-26) **होशंगाबाद - मीनाक्षी चौक**; PCA9GOL28683858, 28667890. **इंदौर - मरीमाता स्क्वायर**; POZ2GOL18021821, 24048006, 28343732. **इंदौर - विजय नगर**; PGJ9GOL25845524, 26410019, 27042364. **इटारसी - सराफा बाज़ार**; P03WGOL28716740, 28942758. **जबलपुर - दीनदयाल चौक**; PEH4GOL24089836, 24637631, 24952239, 26418066, 26848427, 27211532, 28264520, 28263528, 28307366, 29141691. **जबलपुर - रद्दी चौकी**; POX3GOL25720878, 26809486, 26798537, 26812539, 26803711. **जबलपुर - राइट टाउन**; PG03GOL23770731, 28122953, 28307047, 28743664, 28656848. (17-08-26) **कटनी - सुभाष चौक**; POX4GOL26234320, 26479192, 26847807. **खंडवा - शिवाजी चौक**; PCP1GOL26409897, 27739406, 28890375. **महू - हरि फाटक**; PMN4GOL26087259. **मुरैना - शिवनगर**; PJC8GOL23777952, 24476112, 24897232, 26040574, 27551038, 27787159, 28514463, 29063417. **नरसिंहपुर - बीजीएल**; PNT1GOL25167902, 25172383, 27219652, 27737436, 28500663. **नीमच - गांधी वाटिका**; POZ4GOL27000585. **पिपरिया - स्टेशन रोड**; POX8GOL25094840. **पोरसा - बीजीएल**; POA4GOL26052634, 26448690, 28273680, 29089320, 29078745, 29101726. (18-08-26): **रीवा - बीजीएल**; PNR9GOL27769706. **सबलगढ़**; P13PGOL5591433, L5744781. **सागर - मकरोनिया**; PQH1GOL29116790, 29120411. **सागर - परकोटा**; PLL1GOL27001333, 27760927, 28554455. **सनावद - इंदौर खंडवा रोड**; PQD4GOL24237733, 24897274, 27177308, 28311862, 29149030. **सतना - रीवा रोड**; PCP2GOL26987808. **Sसीहोर - सेकड़ाखेड़ी रोड**; PCP3GOL23735448, 23738224, 24453373, 29071107. (19-08-26) **सिवनी - शक्ति नगर**; POX7GOL25705299, 26184442, 26835043, 28860795. **शहडोल - बीजीएल**; PNT3GOL23812674, 24980110, 25145487, 25096604, 25120992, 26058491, 26224708, 26801054, 28205814, 28475199. **श्योपुर - शिवपुरी रोड**; PLC3GOL29064724. **शिवपुरी - एबी रोड**; PEH3GOL23807589, 24887473, 25078586, 26208433, 26964356, 27397766, 27749305, 27743691, 28686598, 28693880, 28926496. **शुजालपुर - मंडी**; PPG5GOL24904040, 24908607. **सिहोरा - मेन रोड**; PQR5GOL23802805, 26221501. **उज्जैन - फ्रीगंज**; PCP4GOL24078614, 24623586, 24725003, 25717827, 26275960, 26456223, 26421776, 26427278, 27235850, 27527675, 28106995.

बजाज फाईनान्स लिमिटेड

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्रा. लि. हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशुतोष उपाध्याय द्वारा 6/54, फिरोज गांधी प्रेस काम्प्लेक्स, इंदौर से प्रकाशित एवं नवभारत प्रेस भोपाल प्रा.लि. , फिरोज गांधी प्रेस कॉम्प्लेक्स इंदौर से मुद्रित. समूह संपादक क्रांति चतुर्वेदी*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन/फैक्स- 4096718 RNI Reg. No.7590/60